BEFORE THE HONBLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 629/2024

IN THE MATTER OF:

RWA SECTOR 30 THROUGH PRESIDENT OF RWA MR. PRAMOD KUMAR GUPTA...COMPLAINANT

VS.

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AND ORS.

RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	REPLY ON BEHALF OF THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY	70-79
2.	**ANNEXURE R/1:** TRUE COPY OF THE LETTER DATED 30.01.1983 SENT BY THE ANSWERING RESPONDENT TO THE RESPONDENT NO.4;	80
3.	**ANNEXURE R/2:** TRUE COPY OF THE OFFICE ORDER DATED 30.01.2004 PASSED BY THE ANSWERING RESPONDENT;	81-83
4.	**ANNEXURE R/3:** TRUE COPY OF THE LETTER DATED 26.09.2004 SENT BY THE ANSWERING RESPONDENT TO THE RESPONDENT NO.4;	84

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

5.	**ANNEXURE R/4:** TRUE COPY OF THE PROFORMA FOR TERMS AND CONDITION OF ADOPTION POLICY OF THE ANSWERING RESPONDENT.	85-87
6.	**ANNEXURE R/5:** TRUE COPY OF THE STATUS REPORT ALONG WITH THE RECENT PHOTOGRAPHS OF THE SUBJECT AREA	88-99
7.	VAKALATNAMA ON BEHALF OF RESPONDENT NO.2 'NOIDA'	100

RESPONDENT NO.2

THROUGH

PLACE: NEW DELHI
DATE:11.02.2025

Abhay Tayal

(ABHAY KUMAR TAYAL)
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO.2

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

70

BEFORE THE HONBLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 629/2024

IN THE MATTER OF:

RWA SECTOR 30 THROUGH PRESIDENT OF RWA MR. PRAMOD KUMAR GUPTA ...COMPLAINANT

VS.

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AND ORS. RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.2 'NOIDA

INTRODUCTORY: -

1. It is humbly submitted with respect that the present 'Application' has been filed by the Resident Welfare Association, Sector 30, inter alia, alleging encroachment and degradation of Green Belt Area in Sector 30, Noida by the Respondent No. 4, 'Delhi Public School'.

2. Vide Order dated 17.01.2025, this Hon'ble Tribunal had granted time to the answering Respondent to file the reply, particularly disclosing therein: -

   (i) Why responsibility of maintenance of park has been given to a private person, when it is the statutory responsibility of the Authority itself?

NOTARY R.B. Sharma G.B. Nagar RN No. 8556 GOVT. OF INDIA

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

(ii) Why it is not ensured that the park is accessible to the general public at all times and not for a limited hours, as per response given by the Respondent No.4?

BACKGROUND: -

3. Without prejudice to the above, before humbly submitting response to the issues mentioned in the proceedings of the Hon'ble Tribunal dated17.01.2025, the following factual details, being relevant, may kindly be placed for consideration before this Hon'ble Tribunal. The same would demonstrate that there has been no dereliction of any statutory or contractual obligation on the part of NOIDA (hereinafter referred to as 'answering Respondent').

4. That the answering Respondent is a statutory authority constituted on 17.04.1976, under the provisions of the U.P Area Industrial Development Act, 1976, for development of certain areas in the state into Industrial and Urban Township.

5. The Delhi Public School, Sector 30, Noida was established in the year 1982 and the park/green belt area (hereinafter referred to as 'subject area')is located adjacent to the said school. The Authority was at its nascent state, when in the month of June,

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

NOTARY GOVT. OF INDIA R.B. Sharma G.B. Nagar R/N No. 8550

72

1983, the Respondent No.4 requested to handover the adjacent green belt area for its maintenance.

6. It is clarified that for proper maintenance of the subject area, the request of the Respondent No.4 was accepted by the answering Respondent and vide letter dated 05.09.1983, the subject area was handed over to the Respondent No.4 at a license fee of Rs.1/- per annum. The general terms and conditions for handing over of the subject area were set out in the letter dated 05.09.1983 and some of the relevant terms and conditions, expressly provided are as under:

a. In view of the fact that only one big park is available in the Sector 30 for the use of the residents, it should also be allowed to be used by them at all hours, especially, in the morning and evening hours;

b. The entry and exist to the park shall be allowed from the road sides only.

c. No entry from the school boundary shall be allowed into the park directly.

d. The land will remain with the Authority and School will only maintain it.

e. The Authority will have every right to take over the maintenance of the park at any time.

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)

NOTARY
R.B. Sharma
G.B. Nagar
RN No. 8556
GOVT. OF INDIA

A true copy of the letter dated 30.01.1983 is annexed herewith as **ANNEXURE R/1.**

7. Subsequently, some disputes pertaining to encroachment and degradation of green belt area on the subject area were arose between the residents and Respondent No.4 and a Writ Petition bearing No. 4261 of 2002 was filed by the members of RWA, Sector 30, Noida before the Hon'ble High Court of Allahabad, U.P. The Hon'ble High Court disposed of the Writ Petition with a direction to the answering Respondent to consider the representation of the RWA members and pass an appropriate decision in accordance with law.

8. Thereafter, the members of the RWA made a representation before the answering Respondent and accordingly, following issues were framed: -

   a. Whether the Delhi Public School has constructed an illegal wall on the subject green belt area in violation of the site plan?

   b. Whether the green belt is being used for public place?

9. That vide office order dated 30.01.2004, the answering Respondent had disposed of the representation of the members of RWA, inter alia, with the following observations:

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

NOTARY
R.B. Sharma
G.B. Nagar
RN No. 8556
GOVT. OF INDIA

74

a. *That the Senior Project Engineer and Zonal Officer-1 has informed that three boundary walls are constructed on the green belt, which is necessary for the safety of the green belt and there is no illegal construction on it. In relation to this, site plan was also considered and it is found that the green belt is allotted to the Delhi Public School for its maintenance and there is no illegal construction on it....*

b. *That it is brought to my knowledge that green belt is accessible to the general public for certain hours in a day and night, which is not proper. In light of it, this contention of the representation is accepted and it is directed that,*

(i) That green belt will be used for public good and Delhi Public School will not create any obstruction to it.

(ii) It is directed to the in-charge of Work Circle, Sector 30 that the above observation shall be published in the form of a notice board.

A true copy of the Office order dated 30.01.2004 is annexed herewith as **ANNEXURE R/2.**

10. Subsequently, an inspection of the subject area was carried out by the executive engineer (Horticulture) along with two other persons on 21.07.2004 and it is found that particles of trash, mud and dry leaves were lying in the 30% of the subject area and also, pruning was required for certain trees, which clearly indicates that the park is not maintained and looked properly. Accordingly, vide letter dated 26.09.2004, the Respondent No.4 was directed to maintain the park properly with a restricted

NOTARY R.B. Sharma G.B. Nagar RN No. 8556 GOVT. OF INDIA

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)

75

timing for public entry to maintain cleanliness and hygienic environment for the public.

A true copy of the letter dated 26.09.2004 is annexed herewith as **ANNEXURE R/3.**

11. Thereafter, time and again, the answering respondent conducted periodical inspections of the subject arear and passed necessary directions to the Respondent No. 4 to ensure the proper maintenance of the subject area.

RESPONSE TO THE ISSUES RAISED IN THE ORDER DATED 17.01.2025:

12. In light of the background facts set out earlier, the following points are submitted for the kind consideration of the Hon'ble Tribunal:

(A) As submitted above, the subject area is located adjacent to the Delhi Public School, Sector 30, Noida, Respondent No.4 herein and was handed over to the Respondent No. 4 for maintenance of the green belt at their own expenses, so that the park can be accessible to the general public in a clean and hygienic condition.

(B). The subject area was handed over to the Respondent No. 4 in the year 1983, when the answering Respondent was at its nascent

NOTARY
R.B. Sharma
G.B. Nagar
RN No. 8556
GT. OF INDIA

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)

state and various policies for adoption of green belt areas was under process.

(C) The scheme for adoption of green belt areas was later regularized through various adoption policies of the answering respondent, where the adoption is regulated through the general terms and condition of the adoption set forth under the policy. In the instant case, the Respondent No. 4 is also obligated with the broad terms and condition of the adoption. A true copy of the proforma for terms and condition of adoption policy is annexed herewith as **ANNEXURE R/4.**

(D) It is most relevant to mention here that the answering Respondent does not charge any premium or rent from the adoptive body and only a refundable security is taken for the adoption period. In the instant case, a license fee of Rs.1/- per annum was taken from the Respondent No.4.

(H) As regards the issue of accessibility of general public to the park is concerned, it is respectfully stated that with a view to ensure proper maintenance and hygiene in the vicinity of the park, the entry of the general public is restricted during the day hours so that the process of cleaning and maintaining the park including the pruning of trees may be conducted in a proper manner.

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)

RN No.
GOVT. OF IN

77

(J). It is respectfully submitted that the restricted timings of entry in the park are meant only for the Purpose of maintaining cleanliness and hygienic environment within the vicinity of the park/subject area.

PRESENT STATUS REPORT OF THE SUBJECT AREA: -

14.In view of the present application, the concerned department of the answering Respondent was instructed to conduct an inspection of the subject area. That in pursuance of the same, an inspection was conducted and, *inter alia*, it is found that there is no encroachment on the subject area. A true copy of the status report along with the recent photographs are annexed herewith as **ANNEXURE R/5.**

It is humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly be consider the above and dispose of the subject case.

Place: New Delhi

Dated: 11.02.2025

FOR AND ON BEHALF OF

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

THROUGH

ABHAY KUMAR TAYAL

ADVOCATE

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

78

BEFORE THE HONBLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 629/2024

NOTARIAL
R.B. Sharma
G.B. Nagar
RN No. 6556
GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

RWA SECTOR 30 THROUGH PRESIDENT OF RWA MR. PRAMOD KUMAR GUPTA

...COMPLAINANT

VS.

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AND ORS.

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Ankit Sengar, S/o Mr. Shri Krishan, aged about 32 years, presently working as Assistant Director, Horticulture department, New Okhla Industrial Development Authority, Administrative Building, Sector-6, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

1. That I am working as the Assistant Director, Horticulture department in the office of the Respondent No.2 in the above-mentioned Application and I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and hence competent to swear this affidavit.

2. That the enclosed reply has been drafted at the instructions of the Respondent No.2. The contents thereof are believed by me to be true and correct and no part of it

NOTARY
R.B. Sharma
G.B. Nagar
RN No. 6556
GOVT. OF INDIA

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

79

is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Noida on this 11 day of February 2025, that the contents of my above affidavit from paras 1 to 2 are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY R.B. Sharma G.B. Nagar RN No. 8556 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

RAMBIR SHARMA
Advocate Notary
(G.B. Nagar)

11 FEB 2025

DEPONENT

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

अंकित सेंगर
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय, नौएडा

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 83

ANNEXURE R/1

80

REGISTERED

NO 2450 NOIDA/ADL/DPS/83

Dated 5 September, 1983

The Principal
Delhi Public School
Sector 30
NOIDA COMPLEX.

Dear Sir,

Please refer to your letter no nil dated 29th June 1983 regarding handing over the green area adjacent to Delhi Public School. In this connection I am directed to inform you that it can be allowed subject to following conditions:-

1. In view of the fact that only onebig park is available in sector 30 for the use of the residents, it should also be allowed to be used by them at all hours, especially in the morning and evening hours.

2. The entry and exit to the Park shall be from the Road sides only.

3. No entry from the School boundary shall be allowed into the park directly.

4. The land willremain with the Authority and the School will only maintain it.

5. The Authority will have everby right to take ove the maintanance of the Park at any time.

6. The detailed terms will follow.

7. TheLicence fee will be @Rs 1/- per annum.

Yours faithfully,

(K.S. SAXENA)
Assiatant Director (Land)

C.C. to:-
(i) Chief Project Engineer
(ii) C.T.&C.P.
(iii) F.A.&C.AOO.
(iv) Dy.Director (H)
(v) Project Engineer.

Assistant Director (Land)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्र संख्या:नोएडा/अध्यक्ष एवं मु0का0अ0/विधि/2004/3707
दिनांक: 30 जनवरी, 2004

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 4261/2002, रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-30, नोएडा बनाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा आदि में दिनांक 28.1.2002 को निम्नलिखित आदेश अनुपालन हेतु पारित किये हैं-

"The representations dated 8.10.2001 end 10.12.2001 made by the petitioner shall be considered by the respondent no.1 and appropriate decision shall be taken in accordance with law within two weeks from the date of communication of this order.

With the aforesaid observations, the writ petition stands disposed of."

उपरोक्त कथित आदेश की प्रतिलिपि प्रत्यावेदकगण रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-30, नोएडा ने पत्र दिनांक 11.2.2002 के साथ स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जो संस्थागत विभाग में दिनांक 12.2.2002 को प्राप्त हुआ ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका संख्या 2601/2002 रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, नोएडा बनाम श्री डी0एस0 बैन्स, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा मे निर्गत नोटिस दिनांक 22.1.2004 को प्राप्त हुआ और तत्पश्चात मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 8.10.2001, 14.10.2001 के प्रत्यावेदन मेरे पूर्वाधिकारीगण द्वारा निस्तारित नहीं किया गया है ।

मैंने रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-30, नोएडा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.12.2001, 8.10.2001 एवं संस्थागत विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या व मूल पत्रावली में उल्लिखित सभी अभिलेखों का अध्ययन किया व प्रभारी, वर्क सर्किल इन्चार्ज से भी पृथक रूप आख्या प्राप्त किया ।

प्रत्यावेदकगण ने प्रत्यावेदन में यह कथन प्रस्तुत किया कि संलग्नक ले-आउट प्लान के अनुसार प्रश्नगत जमीन पर हरित पट्टिका प्राधिकरण द्वारा सीमांकित की गई है और प्राधिकरण की उपेक्षा के कारण अनाधिकृत रूप से हरित पट्टिका पर साईट प्लान के विपरीत बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर लिया गया है जिससे हरित पट्टिका क्षतिग्रस्त हो रही है । अतः इस प्रकार प्रत्यावेदकगण द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि साईट प्लान के अनुसार दीवाल का निर्माण किया जाय तथा ग्रीन-बैल्ट का रखरखाव नियमानुसार उचित तरीके से किया जाय ।

82

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया जाता है कि प्रत्यावेदक एवं प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-30, नोएडा द्वारा प्राधिकरण को नोटिस भी निर्गत किया गया था जिसके अनुपालन में प्रधानाचार्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के पत्र संख्या:2450/नोएडा/ए०डी०एल/डी०पी०एस०/83, दिनांक 05 सितम्बर, 1983 के द्वारा उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर ग्रीन-बैल्ट के रखरखाव के लिये आवंटित किया गया था:-

1. In view of the fact that only onebig park is available in sector 30 for the use of the residents, it should also be allowed to be used by them at all hours, especially in the morning and evening hours
2. The entry and exit to the Park shall be from the road side only.
3. No entry from the school boundry shall be allowed into the Park directly.
4. The land will remain with the Authority and the School will only maintain it.
5. The Authority will have everby right to take ove the maintenance of the Park at any time.
6. The detailed terms will follow.
7. The Licence fee will be Rs. 1/- per annum.

प्रकरण में प्रत्यावेदक के कथनानुसार मूल रूप से निम्नलिखित दो बिन्दु विचारणीय हैं:-

(i). क्या प्रश्नगत ग्रीन-बैल्ट पर अनाधिकृत रूप से साईट प्लान के विपरीत अवैध दीवाल का निर्माण दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किया गया है ?

(ii). क्या ग्रीन बैल्ट का सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग हो रहा है ?

प्रथम बिन्दु के सन्दर्भ में वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता, जोनल अधिकारी-प्रथम श्री ए०के० गोयल द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रीन बैल्ट के तीन ओर बाउण्ड्रीवाल स्थित है और यह ग्रीन बैल्ट की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित है तथा इस पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में साईट प्लान का भी अवलोकन किया गया और पाया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल को ग्रीन-बैल्ट रखरखाव के उद्देश्य से आवंटित की गई है । अतः उसकी सुरक्षा व रखरखाव के लिये बाउण्ड्रीवाल का निर्माण उनके द्वारा किया गया है । इस पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं है, अतः प्रत्यावेदक का यह कथन कि साईट प्लान के विपरीत दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया है, मान्य नहीं है ।

द्वितीय बिन्दु के सम्बन्ध में मेरे संज्ञान में यह आया है कि केवल सुबह शाम ग्रीन-बैल्ट को सार्वजनिक हित के उपयोगार्थ खोला जाता है, जो सही नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदक के कथन को सही मानते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं

क- ग्रीन-बैल्ट का उपयोग सार्वजनिक हित के रूप में किया जायेगा और इस पर कोई रोक-टोक दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा नहीं की जायेगी ।

ख- प्रभारी, वर्क सर्किल, सेक्टर-30 व विशेष कार्याधिकारी वनीकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि ग्रीन बैल्ट पर निम्न टिप्पणी के साथ सार्वजनिक सूचना हेतु एक नोटिस बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें-

"यह ग्रीन-बैल्ट/पार्क नोएडा की भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये है, इसका रखरखाव सार्वजनिक हित के लिए केवल दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किया जाता है ।"

प्रत्यावेदन का निस्तारण तदानुसार किया जाता है ।

(विनोद मल्होत्रा)
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. निबन्धक (जुडिशियल), उच्च न्यायालय, इलाहबाद इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित कि याचिका संख्या 4261/2002 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.1.2002 के अनुपालन में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-30, नोएडा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है ।

2. रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, ई-20, सेक्टर 30, नोएडा को सूचनार्थ ।

3. प्रधानाचार्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-30, नोएडा को अनुपालन हेतु प्रेषित ।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ANNEXURE R/3

84

87 NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELO

Main Administrative Building
Sector-VI, Noida
Distt. Gautam Budh Nagar-201301

पत्र सं0 नौएडा / संस्थागत/ 04 747
दिनाक 26 सितम्बर 2004

2184
1.10.04

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
सैक्टर-30, नौएडा।

विषयः - दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर 30 के साथ लगे पार्क के रखरखाव के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त पार्क के रखरखाव के सम्बन्ध मे अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश संख्याः नोएडा/ अध्यक्ष एवं मु0 का0 अ0 विधि/2004/3707 दिनांक 30 जनवरी 2004 तथा परियोजना अभियंता (उधान) तथा आपके प्रतिनिधि श्री जे0ऐ0 महर एवं श्री एम0 सी0 अग्रवाल के साथ दिनांक 21.07.2004 को हुए पार्क के निरीक्षण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे ।

निरीक्षण के समय यह पाया गया था कि पार्क के 30 प्रतिशत भाग मे कचरा, मिटटी एवं सूखी पत्तियाँ इत्यादि पडी थी। इसके अतिरिक्त कई स्थानो पर पेड पोधो की कटाई, छटाई की भी आवश्यकता थी, इससे स्पष्ट है कि पार्क का रखरखाव ठीक प्रकार से नही किया जा रहा है एवं रखरखाव पर ध्यान नही दिया जा रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि पार्क का रखरखाव ठीक प्रकार से कराना तथा पार्क के खुलने एवं बन्द होने के सम्बन्ध मे निम्न समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें -

1.	सार्दियो में	प्रातः 5.00 बजे से 8.00 बजे तक सांयः 3.00 बजे से 6.30 बजे तक
2.	गर्मियो में	प्रातः 5.00 बजे से 7.00 बजे तक सांयः 5.30 बजे से 8.00 बजे तक

CCEO महोदय के कार्यालय ज्ञाप दि0 30.01.2004 के निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में Adoption पर दी गई ग्रीन बैल्ट प्राधिकरण द्वारा वापस ले ली जायेगी। कृपया इस अनुरोध को अन्तिम पत्राचार मानते हुए कार्यालय ज्ञाप के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जमील अहमद)
उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. परियोजना अभियंता (उधान)
2. परियोजना अभियंता, सी0सी0जे0- III
3. RWA सैक्टर-30, नौएडा।

उप सचिव

85

संस्था /प्रतिष्ठान को पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण के एडोप्टेशन के संबध में नियम एवं शर्ते

1. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण के आकार एवं प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में कोई झुग्गी , अन्य अस्थाई व स्थाई निर्माण नहीं होगा ।
3. पार्क /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में साईन बोर्ड 3'×2'का लगाया जाना अनुमन्य होग जिस पर लिखाई /कलर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संलग्न मानक के अनुसार होगा ।
4. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण से कोई पौधा या उपज को बिना प्राधिकरण की अनुमति के नही काटा जायेगा । जो वृक्ष विद्युत तारों के समीप या नीचे स्थित हों , उनकी उंचाई एंव प्रकृति का विशेष ध्यान रखा जाये ताकि विद्युत प्रवाह में कोई व्यवधान न हो । एडोप्टेशन के बाद पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण के ऊंचे वृक्षो की कटाई छंटाई का दायित्व एडोप्टेशन लेने वाले का होगा । छंटाई से प्राप्त होने वाले समस्त उपज प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी ।
5. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण की चारदीवारी ,गेट ,ग्रिल , पौधे , झाडियां ,छायादार एवं अंलकृत पौधो फूल घास आदि का रखरखाव अच्छी प्रकार से करना होगा व रख–रखाव हेतु खाद ,पानी पाईप तथा औजारों का व्यवस्था तथा इस पर आने वाला व्यय एडोप्ट करने वाले संस्था /प्रतिष्ठान का होगा ।
6. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण एडोप्ट करने वाले संस्था /प्रतिष्ठान को श्रमिको की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । अनुरक्षण करने वाले संस्था /प्रतिष्ठान को कार्यरत श्रमिको के संबध में न्यूनतम भत्ता अधिनियम तथा लेबर एक्ट इत्यादि के नियमों का पालन करना होगा ।
7. एडोप्ट करने वाले व्याक्ति /संस्था /प्रतिष्ठान द्वारा रखे गये कर्मचारी अथवा समान आदि के किसी भी प्रकार के नुकसान का दायित्व प्राधिकरण का न होकर स्वयं संस्था /प्रतिष्ठान का होगा ।
8. प्राधिकरण के अधिकारियो को पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण के रखरखाव का निरीक्षण का अधिकार होगा । उनके द्वारा दिये गये सुझाव मान्य होंगें ।
9. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में पशु ,कुत्ते तथा अन्य पालतू पशु घुमाना , प्रतिबंधित होगा । पार्क/हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में क्रिकेट ,फुटबाल ,बेंडमिटंन हॉकी , आदि खेल खेलना तथा साईकिल चलाना प्रतिबंधित होगा ।
10. कोई भी वृक्ष /पौधा जो जहरीले अथवा नशीले प्रकृति का हो , नहीं लगाया जायेगा । पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में वृक्षारोपण से पूर्व प्रजाति के संबध में उद्यान विभाग से सहमति लेनी होगी ।
11. एडोप्ट किये गये क्षेत्र में यदि घास बदलनी हो, फुटपाथ का निर्माण /हाई मास्ट लाईट /फव्वारा आदि का नया निर्माण किया जाना हो तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे कार्य को अलग से प्रोजेक्ट के रूप में कराया जा सकता है। यदि संस्था /प्रतिष्ठान पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण में लैण्डस्केपिंग कार्य कराना चाहें तो अपने व्यय से कराने हेतु प्रोजक्ट शुरू करने से पूर्व लैण्डस्केप डिजायन प्राधिकरण से अनुमोदित करना होगा ।
12. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण हस्थानांतरण एडोप्ट करने वाले संस्था /प्रतिष्ठान को क्षेत्र जहां है जैसे है के आधार पर लेना होगा ।

13. पार्क /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण भूमि पर स्वामित्व प्राधिकरण का होगा । अनुज्ञाधारी को किसी अन्य को अनुज्ञा देने का अधिकार नही होगा ।
14. प्रारंभ में पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण के एडोप्टेशन की अनुज्ञा 11 माह के लिए होगी । संतोषजनक अनुरक्षण होने पर यह अनुज्ञा पुनः 11 माह के लिए बढाई जा सकती है।
15. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण सार्वजनिक होगा तथा संबन्धित सैक्टर के निवासियो की सामूहिक सम्पति माना जायेगा ।
16. प्राधिकरण किसी भी कार्य करने हेतू उक्त स्थल का प्रयोग करने को स्वतंत्र होगा । पार्क इत्यादि का 'पब्लिक आयोजन ' इत्यादि के लिए प्रयोग होने पर आने वाला राजस्व प्राधिकरण के खाते में जमा होगा । स्थल का किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रयोग नहीं लिया जाएगा।
17. पार्क/हरित पटिटका/पथवृक्षारोपण को एडोप्ट करने वाले संस्था/प्रतिष्ठान को संतोषजनक कार्य सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार धरोहर राशि का C.D.R. /F.D.R "नौएडा" के नाम से प्राधिकरण के पक्ष में देना होगा जो कार्य के संतोषजनक रूप से होने व कार्य समाप्ति के उपरांत वापिस की जाएगी तथा विज्ञापन शुल्क GST सहित का C.D.R. /F.D.R "नौएडा" के नाम से प्राधिकरण के पक्ष में देना होगा जो वापस नही होगा।

<u>पार्क /हरित पटिटका एडोप्टेशन हेतु देय</u> धरोहर राशि विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्रफल	धरोहर धनराशि	अनुमन्य बोर्ड की संख्या /साईज
1	0– 0.50 एकड तक	25,000.00	02 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
2	0.50 –1.50 एकड तक	50,000.00	04 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
3	1.50–5.00 एकड तक	75,000.00	05 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
4	5.00 –10.00 एकड तक	2,00,000.00	06 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
5	10.00 –15.00 एकड तक	3,00,000.00	10 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
6	15.00 –20.00 एकड तक	5,00,000.00	12 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
7	20.00 –30.00 एकड तक	7,00,000.00	15 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट

<u>पथवृक्षारोपण एडोप्टेशन हेतु देय देय</u> धरोहर राशि विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्रफल	धरोहर धनराशि	अनुमन्य बोर्ड की संख्या /साईज
1	0– 0.50 मीटर तक	50,000.00	02 बोर्ड /3 फिट ×2.50 फिट
2	0.50 –1.5 किमी0 तक	1,00,000.00	04 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
3	1.50–5.00 किमी0 तक	2,00,000.00	08 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
4	5.00–10.00 किमी0 तक	4,00,000.00	16 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
5	10.00–15.00 किमी0 तक	6,00,000.00	20 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
6	15.00–20.00 किमी0 तक	8,00,000.00	22 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट

87

7	20.00–25.00 किमी0 तक	10,00,000.00	25 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट
8	25.00–35.00 किमी0 तक	15,00,000.00	30 बोर्ड /3 फिट ×2 फिट

18. पार्क में लगे बोर्ड या अन्य औजारो आदि से यदि किसी व्यक्ति /कर्मचारी को कोई हानि अथवा चोट पहुंचती है तो इसका पूर्ण दायित्व एडोप्ट करने वाली संस्था /प्रतिष्ठान का होगा ।

19. एडोप्ट करने वाली संस्था को अनुबंध की तिथि से 60 दिन में पार्क/हरित पटिटका/पथवृक्षारोपण में कार्य प्रारंभ करना होगा । निर्धारित समय में आपेक्षित प्रगति न होने पर अनुबंध समाप्त कर पार्क का कब्जा वापस लिया जाएगा।

20. उपरोक्त किसी शर्त का पालन न करने अथवा पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण स्थित हरित क्षेत्र का अनुरक्षण संतो□जनक न करने पर बिना कारण बताये एडोप्टेशन अनुबंध निरस्तीकरण कर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी । किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी व उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21. पार्को /हरित पटिटका /पथवृक्षारोपण स्थित हरित क्षेत्रो का एडोप्टेशन हेतु आवेदनों का चयन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी /उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें निदेशक (उद्यान) , वित्त नियंत्रक , मुख्य विधि सलाहाकार , मुख्य वास्तविद नियोजक व मुख्य परियोजना अभियंता व संबन्धित उप निदेशक सदस्य होंगे के द्वारा संस्तुति की जाएगी जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

यह है कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों के व्याख्या/निवर्चन के संबंध में किसी विवाद/संदेह की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा एवं द्वितीय पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

निम्नलिखित साक्ष्यों की उपस्थित एवं स्वतंत्र इच्छा एवं बिना दबाव के दोनों पक्षें में उर्पयुक्त तिथि एवं व□में हस्ताक्षर किये।

प्राधिकरण द्वारा अधिकृत	द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पदनाम	पिता/पति का नाम ....
नवीन ओखला औद्योगकि विकास प्राधिकरण	पता ....
	....
साक्षी	साक्षी
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम ....
पता	पता ....

ANNEXURE-R/5

88

नवीन औखला औधोगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय निदेशक (उद्यान), सैक्टर–39, नौएडा

पत्र सं0:–नौएडा/निदे0(उद्यान)/2024/847
दिनांक 06/2/25.

विधि अधिकारी
मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर–06, नौएडा।

विषय– O.A. No. 629/2024 RWA Sector 30 through President of RWA Mr. Parmod Kumar Verma Applicant Versus Principal and Management of Delhi Public School, Sector-30, Noida (Encroachment and degradation of Green Belt Area in Sector-30, Noida by Delhi Public School) के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्रांक संख्या– नौएडा/वि0वि0/2025/309 दिनॉक 22/01/2025 के द्वारा O.A. No. 629/2024 RWA Sector 30 through President of RWA Mr. Parmod Kumar Verma Applicant Versus Principal and Management of Delhi Public School, Sector-30, Noida (Encroachment and degradation of Green Belt Area in Sector-30, Noida by Delhi Public School) से सम्बन्धित वाद की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर–30, नौएडा द्वारा अपने प्लाट और सैक्टर–30 के मध्य भाग मे स्थित हरित पटिटका को अनुरक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके परिपेक्ष्य मे Mr. K.S.Saxena, Assistant Director (Land) द्वारा पत्र संख्या–Noida/ADL/DPS/83 दिनॉक 5 सितम्बर, 1983 (पताका "क" पर संलग्न) मे निम्न शर्तों के साथ हरित पटिटका एडोप्टेशन पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर–30, नौएडा को दी गयी थी जिसमे समय सीमा का कोई वर्णन नही है।

1) In view of the fact that only one big park is available in sector–30 for the use of the residents, it should also be allowed to be used by them at all hours, especially in the morning and evening hours.

2) The entry and exit to the park shall be from the road side only.

3) No entry from the school boundary shall be allowed into the park directly.

4) The land will remain with the Authority and the School will only maintain it.

5) The Authority will have everby right to take over the maintenance of the park at any time.

6) The detailed terms will follow.

7) The License fee will be Rs. 1/– per annum.

सैक्टर–30 आवासीय कल्याण समिति, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई रिट याचिका 4261/2002 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम मे तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्य

89

कार्यपालक अधिकारी, नौएडा श्री विनोद मल्होत्रा महोदय द्वारा प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया था (पताका "ख" पर संलग्न)। जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि

1) ग्रीन बैल्ट का उपयोग सार्वजनिक हित के रूप में किया जायेगा और इस पर रोकटोक दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा नही की जायेगी।

2) प्रभारी, वर्क सार्किल, सैक्टर–30 व विशेष कार्याधिकारी वनीकरण को यह निर्देशा दिया जाता है कि ग्रीन बैल्ट पर निम्न टिप्पणी के साथ सार्वजनिक सूचना हेतु एक नोटिस बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें।

" यह ग्रीन बैल्ट/पार्क नोएडा की भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये है, **इसका रखरखाव सार्वजनिक** हित के लिए केवल दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किया जाता है। "

उपरोक्त आदेश मे ही तत्कालिन वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता, जोनल अधिकारी–प्रथम श्री ए0के0 गोयल द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रीन बैल्ट के तीन ओर बाउण्ड्रीवाल स्थित है और यह ग्रीन बैल्ट की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित है तथा इस पर कोई अनाधिकृत निर्माण नही हुआ है। इस सम्बन्ध में साईट प्लान का भी अवलोकन किया गया और पाया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल को ग्रीन बैल्ट रख–रखाव के उददेश्य से आवंटित की गई है। अतः उसकी सुरक्षा व रख–रखाव के लिये बाउण्ड्रीवाल का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। इस पर कोई अनाधिकृत निर्माण नही है।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैक्टर–30 के पास स्थित हरित पटिटका का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे पाया गया कि उपरोक्त हरित पटिटका मे किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है तथा Mr. R.P. Chowdhry, Deputy Secretary के पत्रांक संख्या NOIDA/DS/COM/LAND/85/658/ Dt NOVEMBER 25, 1983 (पताका "ग" पर संलग्न) के अनुपालन मे दो संख्यक गेट स्कूल की तरफ से हरित पटिटका मे बनाये गये है तथा श्री जमील अहमद, उप सचिव महोदय के पत्रांक संख्या–नौएडा/संस्थागत/04/747 दिनॉक 26 सितम्बर 2004 (पताका "घ" पर संलग्न) का अनुपालन करते हुये सुबह एवं शाम हरित पटिटका के गेट आम जनता/सैक्टर निवासियों के घूमने हेतु खोले जाते है। उपरोक्त हरित पटिटका मे कोई कचरा या उद्यानिक ग्रीन वेस्ट नही पाया गया है तथा उद्यानिक हरियाली को अच्छे प्रकार से अनुरक्षण किया जा रहा है।

आख्या सूचनार्थ प्रेषित है।

(आदर्श सिंह)
प्रबन्धक (सिविल)
खण्ड–द्वितीय

(अंकित सेंगर)
सहायक निदेशक (उद्यान)
खण्ड–द्वितीय

26/2/2025
(आनन्द मोहन सिंह)
निदेशक (उद्यान)
नौएडा

प्रतिलिपिः–

1) स्टाफ आफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–वी0टी0 महोदया के सादर सूचनार्थ।

2) पत्रावली प्रति।

निदेशक (उद्यान)
नौएडा

GATE NO.
1-A
Decimal
DMS
Latitude
28.573062
28°34'23" N
Longitude
77.336278
77°20'10" E
2025-02-06(Thu) 02:40(pm)
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
Google

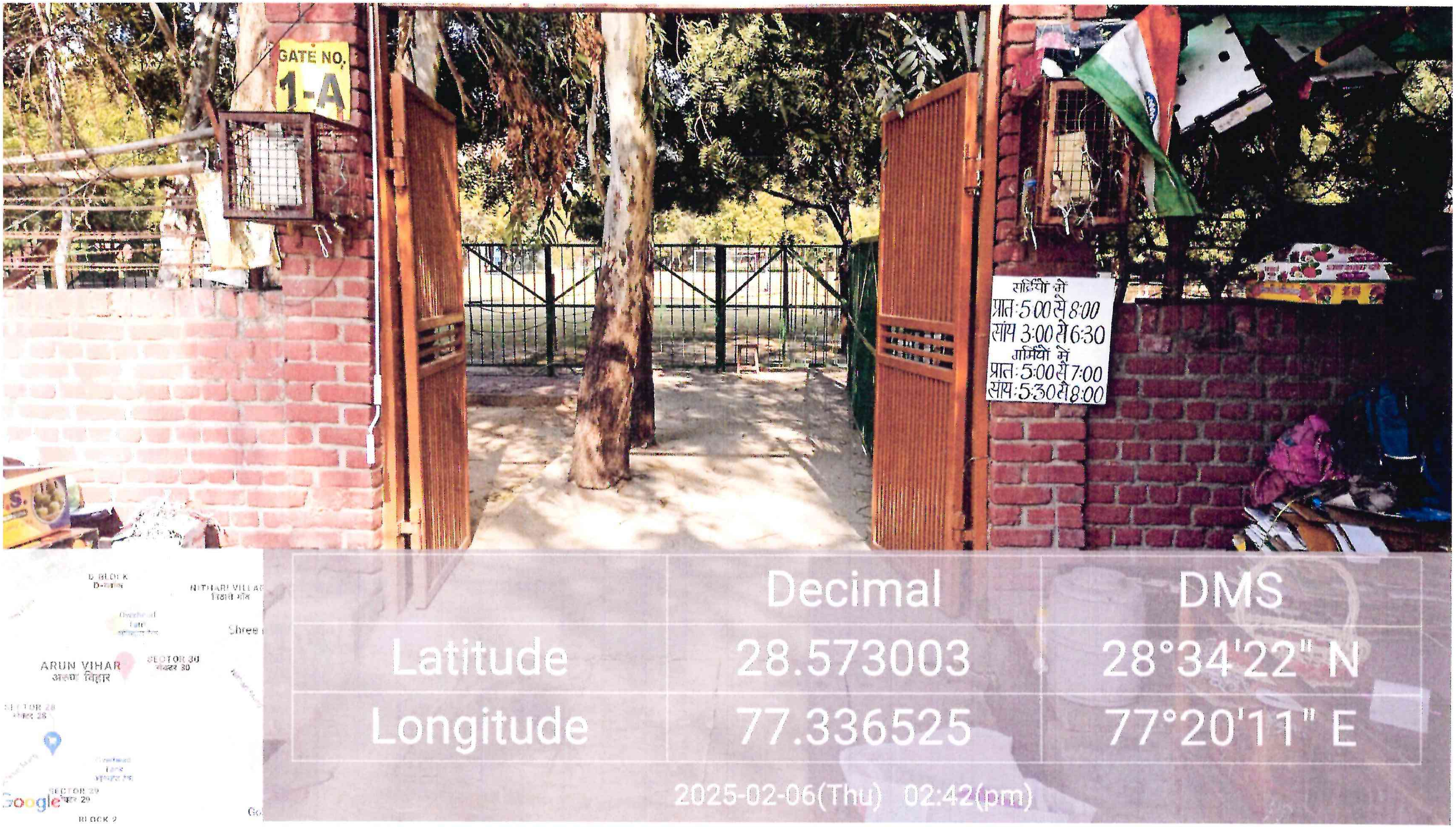
GATE NO.
1-A
सर्दियों में
प्रातः 5:00 से 8:00
सांय 3:00 से 6:30
गर्मियों में
प्रातः 5:00 से 7:00
सांय 5:30 से 8:00
ARUN VIHAR
SECTOR 30
Decimal
DMS
Latitude
28.573003
28°34'22" N
Longitude
77.336525
77°20'11" E
2025-02-06(Thu) 02:42(pm)

D BLOCK
D-ब्लॉक
NITHARI VILLAG
निठारी गाँव
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
SECTOR 28
सेक्टर 28
SECTOR 29
सेक्टर 29
Google
Decimal
DMS
Latitude
28.573206
28°34'23" N
Longitude
77.336588
77°20'11" E
2025-02-06(Thu) 02:43(pm)

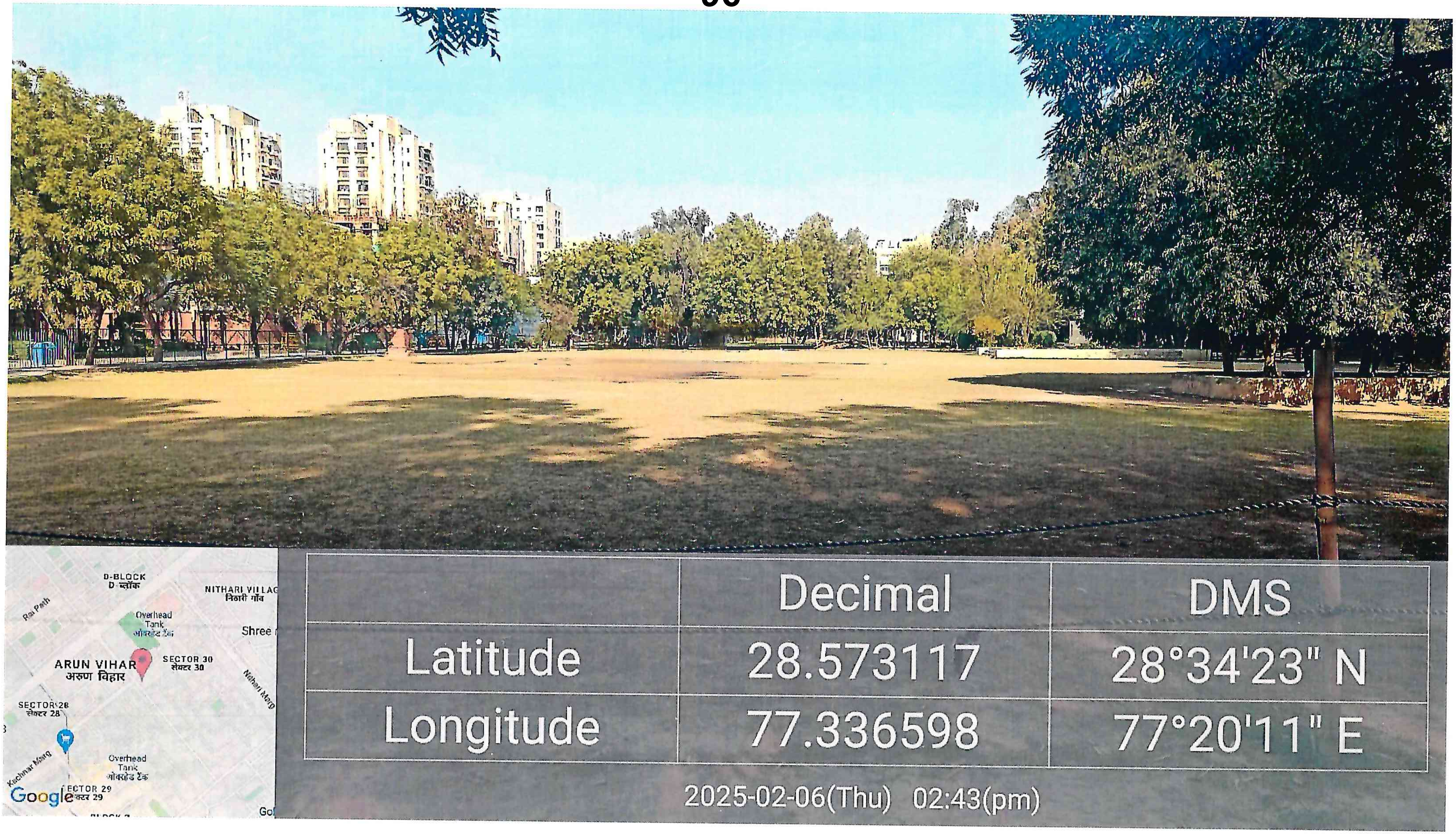
D-BLOCK
D ब्लॉक
NITHARI VILLAG
निठारी गाँव
Rai Path
Overhead
Tank
Shree
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
Nithari Marg
SECTOR 28
सेक्टर 28
Kachnar Marg
Overhead
Tank
ओवरहेड टैंक
ECTOR 29
क्टर 29
Google
Decimal
DMS
Latitude
28.573117
28°34'23" N
Longitude
77.336598
77°20'11" E
2025-02-06(Thu) 02:43(pm)

D BLOCK
D ब्लॉक
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
Google
Decimal
DMS
Latitude
28.573229
28°34'23" N
Longitude
77.336637
77°20'11" E
2025-02-06(Thu) 02:44(pm)

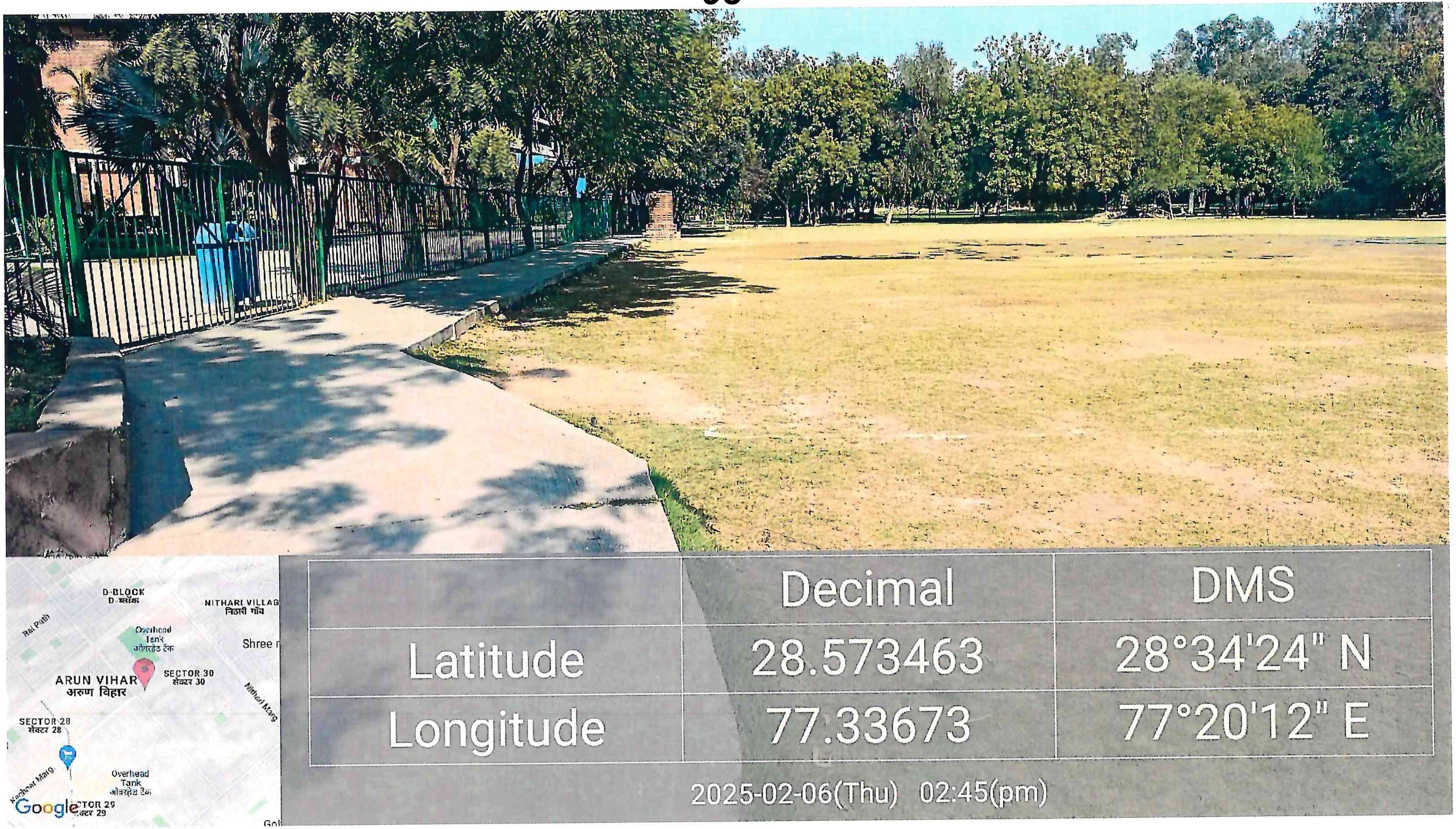
D-BLOCK
D ब्लॉक
NITHARI VILLAG
निठारी गाँव
Rai Path
Overhead Tank
ओवरहेड टैंक
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
Nithari Marg
SECTOR 28
सेक्टर 28
Overhead Tank
Google
Decimal
DMS
Latitude
28.573463
28°34'24" N
Longitude
77.33673
77°20'12" E
2025-02-06(Thu) 02:45(pm)

99 96

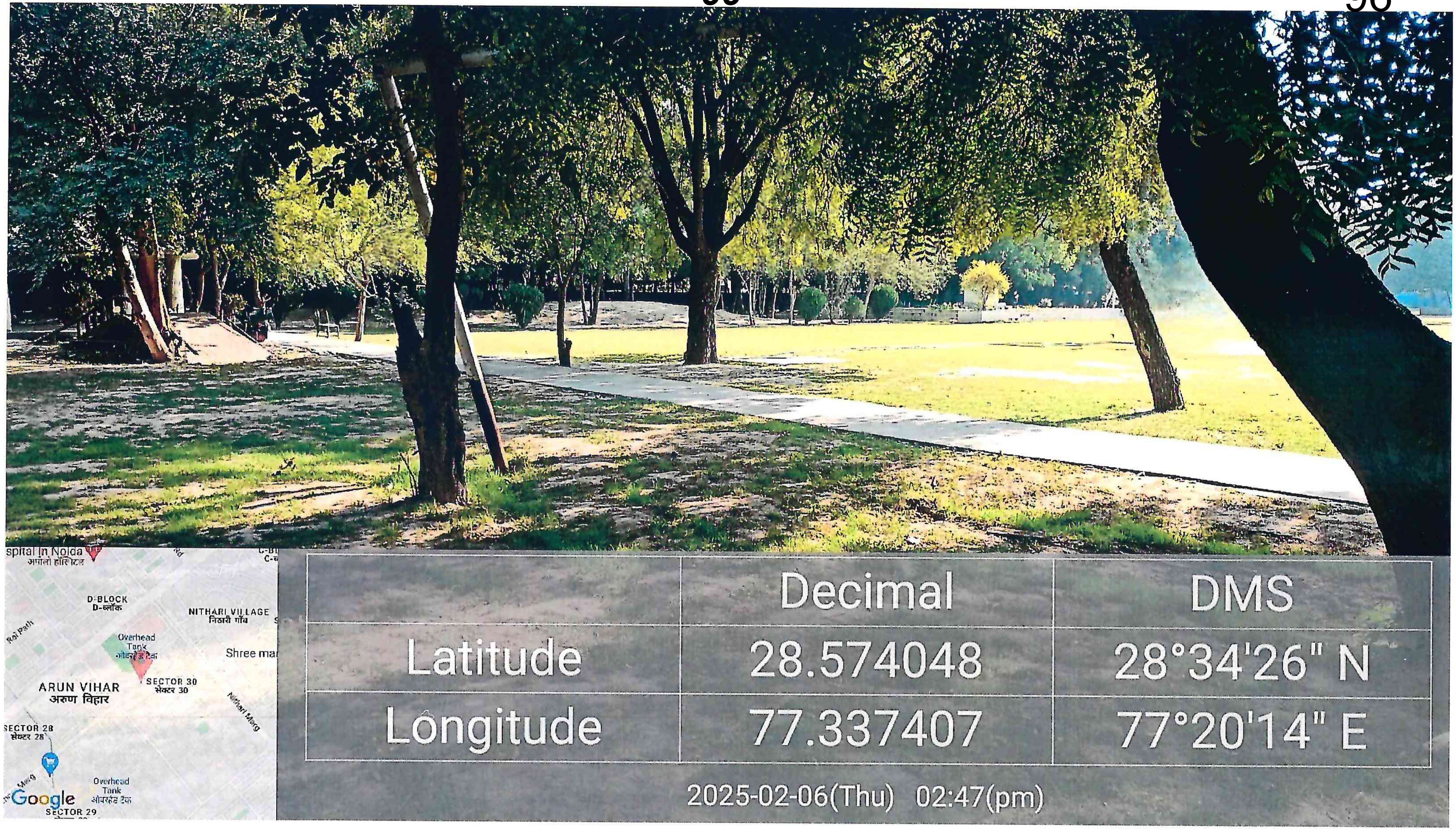

D-BLOCK
NITHARI VILLAGE
Overhead Tank
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
Nithari Marg
SECTOR 28
Google
SECTOR 29
Decimal
DMS
Latitude 28.574048 28°34'26" N
Longitude 77.337407 77°20'14" E
2025-02-06(Thu) 02:47(pm)

100

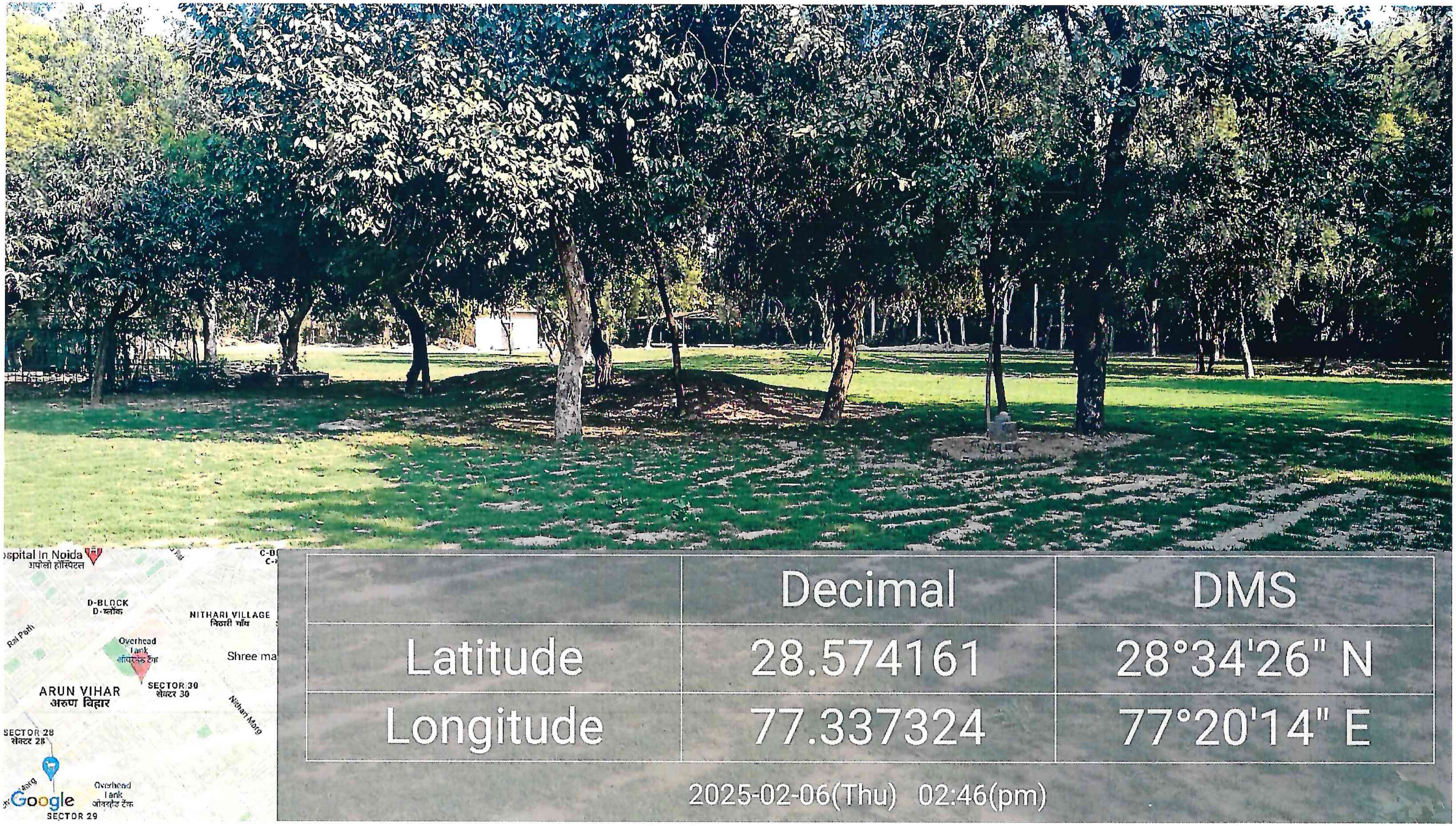

Decimal
DMS
Latitude
28.574161
28°34'26" N
Longitude
77.337324
77°20'14" E
2025-02-06(Thu) 02:46(pm)
D-BLOCK
NITHARI VILLAGE
Overhead Tank
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
SECTOR 28
सेक्टर 28
Google
SECTOR 29

Decimal
DMS
Latitude
28.574
28°34'26" N
Longitude
77.33737
77°20'14" E
2025-02-06(Thu) 02:47(pm)
D-BLOCK
D-ब्लॉक
NITHARI VILLAGE
निठारी गाँव
Overhead Tank
ओवरहेड टैंक
Shree mai
ARUN VIHAR
अरुण विहार
SECTOR 30
सेक्टर 30
SECTOR 28
सेक्टर 28
Nithari Marg
Overhead Tank
ओवरहेड टैंक
Google
SECTOR 29

NO PARKING
DPS NOIDA
NO PARKING
DPS NOIDA
D-BLOCK
NITHARI VILLAGE
Overhead Tank
ARUN VIHAR
SECTOR 30
SECTOR 28
Nithari Marg
Overhead Tank
SECTOR 29
Google
Decimal
DMS
Latitude
28.573996
28°34'26" N
Longitude
77.337268
77°20'14" E
2025-02-06(Thu) 02:48(pm)

100

Vakalatnama

Original Application No. 629/2024

RWA Sector 30, NOIDA
Vs
Principal and Management of Delhi Public School & Ors.

I/we New Okhala Industrial Development Authority, PO- NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, UP Through its chief legal Advisor the undersigned do hereby nominate and appoint **Mr. Abhay Kumar Tayal, Advocate** to be counsel in the above matter and for me/us and on my/our behalf to appear, plead act and answer in the above Court or any appellate Court or any Court to which the business is transfer in the above matter, and to sign and file petitions, statements accounts, exhibits, compromises or other document whatsoever, in connection with the said matter arising t[illegible] and receive all documents or copies of document, deposi[illegible] of summous and other writs of subpoena and to apply [illegible] attachment of other execution warrant or order and to c[illegible] arise thereout and to apply for and receive payment of any or all sums or submit the above matter to arbitration.

1572892

₹5
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT08427[illegible]0
08-OCT-2024

Provided, However, if any part of the Advocate's first hearing of the case or if any hearing of the case be town, them, and in such and event my/our said advocat[illegible] before the court and if may/our said advocate deth appear in the said case he shall be entitled to an outstation fee and other expenses of traveling, lodging, etc. Provided ALSO that if the case be dismissed by default, or if it be proceeded ex-parte, the said advocate (s) shall not be held responsible for the same. And all whatever my/our said advocate (s) shall I lawfully do. I do here by agree to and shall in future ratify and confirm.

Abhay Kumar Tayal
Advocate on Record
Supreme Court of India
AOR Code: 3013
Mob. 9719047830

ACCEPTED:-

I. Abhay Kumar Tayal .....Advocate

D/3199/2011

9719047830

tayalabhay6783@gmail.com

Signature of Client.........S.P. Singh.........
Law Officer
Noida

(R-2)

For and on behalf of New Okhla Industrial Development Authority Distt. Gautam Budh Nagar